

प्ररूप- 21ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

52-अल्मोडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड सामान्य निर्वाचन 2022 की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पटित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि


श्री मनोज तिवारी,

हाउस न0 62, मोहल्ला त्यूनरा, अल्मोडा, जिला अल्मोडा, इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान:- अल्मोडा

दिनांक 11.03.2022


11.03.2022

गोपाल सिंह चौहान,
रिटर्निंग आफिसर,
52-अल्मोडा विधान सभा क्षेत्र।



FORM 21C

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of Representation of the People Act,1951

Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand from 52-ALMORA Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People act, 1951, read with rule 64 of Conduct of Election Rules,1961, I declare that-

MANOJ TEWARI

HOUSE No 62, Mohalla Tyunara Tehsil & District- Almora, (sponsored by Indian National Congress) has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency .

Place: Almora

Date: 11-03-2022

Gopal Singh Chauhan
11.03.2022

(GOPAL SINGH CHAUHAN)

Returning Officer 52-ALMORA

